न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 230/2020

अनवान :

1. देवीलाल पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1 निहालसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
2 संतोष पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशन लाल यादव : वादी
वकील श्री रोहताश सहारण : प्रतिवादीगण

दिनांक : 21.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी बडी खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 286/1 की 3.2630है0, खसरा सं0 303 की 3.5480है0 कुल 6.8110है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामदयाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामदयाल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु औमप्रकाश पुत्र निहालसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जिगासरी बडी संवत 2072–75 प्रदर्श 1 जमाबंदी जिगासरी संवत 2052 प्रदर्श 2 व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्दडिया बडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जिगासरी बड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र देवीलाल, औमप्रकाश व एक पुत्री संतोष के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही जिगासरी बडी खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 286/1 की 3.2630है0, खसरा सं0 303 की 3.5480है0 कुल 6.8110है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बडी खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 286/1 की 3.2630है0, खसरा सं0 303 की 3.5480है0 कुल 6.8110है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 देवीलाल, वादीगण सं0 2 औमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 230/2020

1. देवीलाल पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1 निहालसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

2 संतोष पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशन लाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बडी खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 286/1 की 3.2630है0, खसरा सं0 303 की 3.5480है0 कुल 6.8110है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 देवीलाल, वादीगण सं0 2 औमप्रकाश ब प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:56:34
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner